प्रश्न सं. [क्र. 839]

न्यायालय कलेक्टर, जिला मन्दसौर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 07/बी-121/2026-27

सौरभकुँवर पति शंकरसिंह सिसोदिया निवासी चांदाखेड़ी
तहसील दलौदा जिला मंदसौर -------------आवेदिका

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन

//आदेश //

(पारित दिनांक 26/05/2026)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका सौरभकुँवर पति शंकरसिंह सिसोदिया निवासी चांदाखेड़ी तहसील दलौदा जिला मंदसौर द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 05/08/2025 को कृषि कार्य (01 से 09) करते दुर्घटना से उसके पति की मृत्यु हो गई है। अतः मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत सहायता दी जाए।

2. प्रकरण में तहसीलदार दलौदा द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 115/बी-121/2025-26 में जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 31/10/2025 से प्रतिवेदित किया गया कि आवेदिका के पति की दिनांक 05/08/2025 को दलौदा मण्डी में लहसुन की फसल बेचने हेतु गये थे। प्रातः 10.00से 11.00बजे के बीच उनकी अचानक तबीयत खराब हो गयी उन्हें दलौदा चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पटवारी रिपोर्ट एवं पंचनामा अनुसार आवेदिका के पति की मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई है। अतः आवेदिका को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता की पात्रता न होने से आवेदिका का आवेदन निरस्त करने की अनुशंसा की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर को अग्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर द्वारा भी तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदिका का आवेदन निरस्त करने की अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3- इस न्यायालय द्वारा परीक्षण उपरांत प्रकरण दिनांक 30/12/2025 को इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर को भेजा गया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया अथवा नहीं एवं आवेदिका तथा अन्य साक्षियों के कथन लेकर प्रकरण पुनः भेजने के निर्देश दिये गये।

4- इन निर्देशों के पालन में तहसीलदार दलौदा द्वारा दिनांक 27/04/2026 को प्रेषित प्रतिवेदन में साक्षियों के कथनों के आधार पर प्रतिवेदित किया गया कि मृतक शंकरसिंह मण्डी में प्रांगण में आखरी बोरी उतार रहे थे तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से बोरी समेत जमीन पर गिर पड़े एवं अचेत हो गये। परिजनों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। प्रकरण आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर द्वारा भी तहसीलदार दलौदा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दिनांक 30/04/2026 को आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा सहित इस न्यायाय को भेजा गया।

5- मेरे द्वारा आवेदिका के आवेदन, प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, साक्षियों के कथनों एवं तहसीलदार दलौदा तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर के प्रतिवेदनों का अवलोकन, अध्ययन एवं परीक्षण किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में संलग्न साक्षियों के कथनानुसार मृतक दलौदा कृषि उपज मण्डी में लहसुन की फसल बोरियाँ उतार रहे थे, तभी आखरी बोरी उतारते समय उनका संतुलन बिगड़ने से वे बोरी समेत गिर गये तथा बेहोश हो गये, उन्हें दलौदा चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का पोस्टमार्टम न कराया जाना तहसीलदार दलौदा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंदसौर द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम न कराये जाने से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है कि मृतक की मृत्यु कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में हुई है अथवा स्वाभाविक मृत्यु हुई है। ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम के अभाव में आवेदिका को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत

(संगीता ढोके)
संचालक

आर्थिक सहायता की पात्रता नहीं आती है। अतः आवेदिका को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता की पात्रता न होने से उसके द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन सुदृढ़ आधारों पर आधारित न होने से निरस्त किया जाता है।

(अदिती गर्ग)
कलेक्टर
जिला मन्दसौर म.प्र.

क्रमांक 383 /आरटीसी/2026 मन्दसौर, दिनांक 26 /05/2026

प्रतिलिपि-

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मंदसौर
2. तहसीलदार दलौदा
3. आवेदिका सौरभकुँवर पति शंकरसिंह सिसोदिया नियासी चांदाखेड़ी तहसील दलौदा की ओर सूचनार्थ। द्वारा- तहसीलदार दलौदा

कलेक्टर
जिला मन्दसौर म.प्र.

परिशिष्ट - 'अ' - पृष्ठ क्रमांक 01 से 02 तक

अनुभा-I अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(संगीता ढोके)
संयुक्त संचालक